न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
14.01.2020		

उत्पाद वाद संख्या-255/2018

राज्य

बनाम

1. मो0 उजेर आलम, पिता-स्व0 मोहिउद्दीन, सा0-पिपड़ा विजवार, थाना-पलासी, जिला-अररिया। (जप्त BOLERO WITHOUT NO. के चालक एवं गिरफ्तार अभियुक्त)
2. मिथुन कुमार यादव, पिता-मायानन्द यादव, सा0-कंचनपुर, थाना-पलासी, जिला-अररिया। (जप्त BOLERO WITHOUT NO. से गिरफ्तार अभियुक्त)

.... *विपक्षी*

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **रौटा थाना कांड सं0-48/2018 दिनांक 11.05.2018** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 3946/हि0शा0 दिनांक-23.08.2018** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 11.05.2018 को रौटा बाजार स्थित दुर्गामंदिर के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 18 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0 का) एवं OFFICERS CHOICE WHISKY का 238 पीस (प्रति पीस 180 मि0ली0 का) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षीगण को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया, जिसके आलोक में विपक्षी सं0-01 का नोटिस यह लिखकर वापस कर दिया गया कि विपक्षी घर में नहीं हैं। जबकि विपक्षी सं0-02 का नोटिस वापस नहीं आया है। फलतः विपक्षी वाहन मालिक को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु दिनांक 05.01.2020 को दो समाचार पत्र यथा दैनिक भाष्कर एवं प्रभात खबर में सूचना प्रकाशित की गई, परन्तु विपक्षी

वाहन मालिक निर्धारित तिथि 14.01.2020 को उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि **जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 18 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0 का) एवं OFFICERS CHOICE WHISKY का 238 पीस (प्रति पीस 180 मि0ली0 का) विदेशी शराब** बरामद किया गया है। इस प्रकार जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी वाहन मालिक का पक्ष प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त वाहन BOLERO WITHOUT NO.** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।